

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/08/2012-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 2 मई, 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार श्री एम.एच.खान, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमटी :88) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से उत्तराखण्ड संवर्ग में एक वर्ष की अवधि के लिए अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के विस्तार हेतु, इस निदेश के साथ कि 10.04.2013 के अंत में विस्तार हेतु किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और 10.04.2013 को वे अपने मूल संवर्ग में वापस लौट जाएंगे, एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।



(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं० 23092695

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा).